

मध्य प्रदेश शासन  
वन विभाग

भोपाल, दिनांक दिसम्बर 2004

//आदेश//

क्रमांक/एफ-7-2/2004/10-3 राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-7/22/93/10-3 दिनांक 8-4-2002 (प्रति संलग्न है) में आंशिक संशोधन करते हुये बसोड़ जाति के समान बसोर, बुरुड़, बांसोर, बुरुड़, बांसोर, बांसाड़ी, बांसड़ोर, बसार एवं मान जाति तथा उनकी उपजातियों के परिवारों को भी प्रदाय किये जाने वाले बांस पर रायल्टी पूर्णतः माफ की जाए। शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
हस्ता. एम.के. सपरा  
अपर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्रमांक/एफ-7/2/2004/10-3  
2004

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मOप्रO शासन, नगरीय प्रशासन/पंचायत ग्रामीण विकास विभाग/कृषि/राजस्व/अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, भोपाल
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) / संरक्षण/ लोक वानिकी / कार्य आयोजना / मध्यप्रदेश भोपाल
4. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
5. समस्त वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
6. समस्त वनमंडलाधिकारी, मध्यप्रदेश
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
8. समस्त प्रशासक, नगर निगम/नगर पालिका, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, वन  
विभाग